–:: कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी, जिला–बालोद (छ.ग.) ::–

दूरभाष/फैक्स क्रमांक–07749–223730, email-id-st.balod.cg@nic.in

क्रमांक/1325/कलेक्टर/कोष./सी.पी.एस./2017–18 बालोद, दिनांक 11 /09/2017

प्रति,

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी
जिला – बालोद (छ.ग.)

विषय :– नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आहरण अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्वहन के संबंध में दिशा–निर्देश।

––00––

छ.ग. राज्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 से प्रभावशील किया गया है किन्तु इस पेंशन योजना के नवीन अभिदाताओं के प्रकरण में, सेवानिवृत्त/त्यागपत्र एवं मृत्यु के प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही सही एवं समयबद्धता के साथ नहीं किये जाने के कारण अभिदाताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से बचाव के लिए संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन छ.ग. द्वारा दिनांक 06.09.2017 को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के व्यापक ज्ञान एवं समस्याओं के निपटारे हेतु एक सेमीनार का आयोजन किया गया। जिसमें PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) दिल्ली एवं NSDL (National Securities Depository Limited) मुम्बई के वरिष्ठ अधिकारी तथा एन्युटी सर्विस प्रोवाईडर के प्रतिनिधियों द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा योजना के नोडल अधिकारी जिला कोषालय अधिकारियों के उत्तदायित्व एवं कर्तव्य निर्वहन की सहज जानकारी दी गई। सेमीनार में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर जानकारी के अभाव में नंबर आबंटन फार्म के सभी फील्ड को सही रूप से नहीं भरा जाता, वेतन बिल प्रस्तुतीकरण में विलंब, अंतिम भुगतान के प्रकरणों में निर्धारित फार्म एवं प्रपत्रों को संलग्न नहीं किया जाता है, जिससे विलंब की स्थिति निर्मित होती है। अतः इस विसंगति के बचाव हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किया जाता है :–

1. कार्यालय स्तर पर प्रान नंबर आबंटन एवं अंतिम भुगतान प्रकरणों में Step By Step कार्यवाही हेतु चेकलिस्ट तैयार की जावे।
2. नवीन अभिदाता के प्रान नंबर आबंटन फार्म के सभी कंडिकाओं का आहरण अधिकारी स्वयं सूक्ष्मता से जांच कर सम्पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म जिला कोषालय अधिकारी को उपलब्ध करावें।
3. समस्त आहरण अधिकारी स्वयं का ई–मेल आई–डी, मोबाईल नंबर एवं बैंक डिटेल कोषालय अधिकारी को उपलब्ध करावें।
4. अधीनस्थ समस्त सी.पी.एस. अभिदाताओं की जानकारी निम्नांकित प्रारूप में कोषालय को उपलब्ध करावें।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	ईम्पलाई कोड	प्रान नंबर	मोबाईल नंबर	ई–मेल आई डी	आधार नंबर	बैंक डिटेल
01	02	03	04	05	06	07	08

5. सी.पी.एस. अभिदाता के सेवानिवृत्त एवं सेवा त्याग के प्रकरण में वित्त निर्देश 07/2015 का अक्षरसह पालन किया जावे।
6. मृत अभिदाता के प्रकरण में वित्त निर्देश 40/2017 का पालन सुनिश्चित किया जावे।
7. **सी.पी.एस. कर्मचारियों का अंशदान नियत समय पर NSDL मुम्बई में जमा हो सके इसके लिए सी.पी.एस. बिल पृथक बी.टी.आर. में प्रत्येक माह 21 से 25 तारीख तक अनिवार्यतः कोषालय में जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। विलंब की दशा में Grievance/शिकायत में ब्याज भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर आहरण अधिकारी जिम्मेदार माने जावेंगे।**
8. आहरण अधिकारी स्वयं NSDL वेबसाईट cra-nsdl.com में लागिन कर अधीनस्थ सी.पी.एस. कर्मचारियों के प्रान नंबर की जांच कर अपूर्ण कॉलम को अपडेट कराने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करावें।
9. अधीनस्थ सी.पी.एस. कर्मचारियों को NPS एप मोबाईल में डाउनलोड करावें ताकि कर्मचारी स्वयं सी.पी.एस. से संबंधित सभी जानकारी देख सके एवं सुधार करा सके।
10. सभी अभिदाताओं को छ.ग. राज्य के लिए अधिकृत एन्युटी सर्विस प्रदाता LIC, SBI Life, UTI से एन्युटी क्रय करने की जानकारी प्रदाय करें।
11. सी.पी.एस. प्रकरण में सेवानिवृत्त, सेवात्याग एवं मृत्यु की स्थिति में अंतिम भुगतान हेतु समस्त औपचारिकता पूर्ण कर एक माह के अंदर प्रकरण जिला कोषालय में प्रस्तुत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
12. **महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि सी.पी.एस. अभिदाता 03 वर्ष बाद पूरे सेवाकाल में कुल 3 बार योजना में जमा राशि से पुत्र/पुत्री के उच्च शिक्षा, विवाह हेतु, मकान हेतु तथा गंभीर बीमारी हेतु जमा राशि के 25 प्रतिशत राशि तक आंशिक आहरण करने की सुविधा है, इसकी जानकारी आपके द्वारा अभिदाताओ को दी जावे।**
13. निकट भविष्य में जिला स्तर पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के व्यापक जानकारी एवं शंका समाधान हेतु सेमीनार आयोजित किया जावेगा किन्तु इसके पूर्व यह आवश्यक है कि आप सभी इस योजना की बारीकियों पर संज्ञान लेकर समयबद्ध कार्यवाही निष्पादित करें।

14. योजना के संबंध में कोई भ्रांति या समस्या उत्पन्न होने पर निदान हेतु NSDL मुम्बई के प्रबंधक श्री अकीक नंदकिशोर देसाई के मोबाईल नंबर 09096081242 या दूरभाष कमांक 022–24994751 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पुनः अनुरोध है कि योजना के नियम–निर्देश का पालन करते हुए समय पर वेतन भुगतान के लिए सी.पी.एस. कर्मचारियों का वेतन बिल पृथक बी.टी.आर. में माह के 25 तारीख तक अनिवार्यतः कोषालय में जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

11/9/17

(एस.पी.पाल)
जिला कोषालय अधिकारी
बालोद (छ0ग0)

पृ. कमांक/ /कलेक्टर/कोष./सी.पी.एस./2017–18 बालोद, दिनांक /09/2017

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छ.ग. इन्द्रावती भवन ब्लॉक एक प्रथम तल मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय जिला बालोद की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

(एस.पी.पाल)
जिला कोषालय अधिकारी
बालोद (छ0ग0)